International Journal of Applied Research 2023; 9(8): 206-211

ISSN Print: 2394-7500
ISSN Online: 2394-5869
Impact Factor: 8.4
IJAR 2023; 9(8): 206-211
www.allresearchjournal.com
Received: 20-06-2023
Accepted: 21-07-2023

अच्युता नन्द सिंह
शोध छात्र, शिक्षा संकाय, डॉ. राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, अयोध्या, उत्तर प्रदेश, भारत

डॉ. त्रिवेणी सिंह
एसोसिएट प्रोफेसर, शिक्षा संकाय आर. आर. पी. जी. कॉलेज अमेठी, उत्तर प्रदेश, भारत

Corresponding Author:
अच्युता नन्द सिंह
शोध छात्र, शिक्षा संकाय, डॉ. राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, अयोध्या, उत्तर प्रदेश, भारत

स्नातक स्तर के छात्रों में सामाजिक संवेदनशीलता के प्रति जागरूकता विकसित करने में न्यायिक पृच्छा प्रतिमान की प्रभावशीलता का अध्ययन

अच्युता नन्द सिंह एवं डॉ. त्रिवेणी सिंह

सारांश
प्रस्तुत शोध पत्र स्नातक स्तर के छात्रों में सामाजिक संवेदनशीलता के प्रति जागरूकता विकसित करने में न्यायिक पृच्छा प्रतिमान की प्रभावशीलता के अध्ययन पर आधारित है। सामाजिक संवेदनशीलता दूसरों के भावनाओं, विचारों, कार्यों आदि का सम्मान करने तथा तद्नरूप कार्य–व्यवहार प्रकटीकरण की प्रक्रिया से संबंधित है। सामाजिक संवेदनशीलता एक मानवीय दृष्टि आधारित विशेषीकृत अभिव्यक्ति है। सामाजिक रूप से संवेदनशील व्यक्ति सामाजिक परंपराओं, विश्वासों, संस्थाओं, मूल्यों, अवधारणाओं, परिवर्तनों, रूढ़ियों आदि के प्रति एक तार्किक दृष्टिकोण अपनाता है। न्यायिक पृच्छा प्रतिमान के प्रवर्तक डोनाल्ड ओलिवर और जेम्स पी शावर हैं। इस प्रतिमान प्रयोग समायोजन क्षमता के विकास के लिए किया जाता है। वर्तमान भौतिकवादी युग में अपने आस–पास घटित होने वाली घटनाओं तथा विभिन्न संचार माध्यमों से यह देखने में आता है कि लोग अपने परिवेश, समाज, के प्रति कम संवेदनशील होते जा रहे हैं। प्रस्तुत अध्ययन स्नातक स्तर के छात्रों से संबंधित है। इसमें न्यादर्श चयन हेतु और संभाव्यता न्यादर्शन की सोद्देश्य न्यादर्शन विधि का प्रयोग किया गया। आंकड़ों के विश्लेषण तथा समूहों की आपस में तुलना करने हेतु क्रमशः मध्यमान, मानक विचलन एवं टी–प्राप्तांक का प्रयोग किया गया। प्रस्तुत शोध अध्ययन के परिणामों से यह स्पष्ट होता है कि न्यायिक पृच्छा शिक्षण प्रतिमान स्नातक स्तर के छात्रों में सामाजिक संवेदनशीलता के प्रति जागरूकता विकसित करने में सार्थक सह–संबंध रखता है।

कूटशब्द : सामाजिक संवेदनशीलता, न्यायिक पृच्छा प्रतिमान, स्नातक स्तर, छात्र

प्रस्तावना
मनुष्य जब सुसंस्कृत ढंग से जीवन व्यतीत करता है तो सभी प्राणियों में श्रेष्ठतम् होता है और संस्कृति विहीन जीवन व्यतीत करने पर वह सभी प्राणियों में निकृष्टतम बन जाता है। सृष्टि विविधता से परिपूर्ण है इसमें जहाँ मानव जीवन को श्रेष्ठता प्रदान करने के प्रयत्न अनवरत दिखाई पड़ते हैं वहीं कुछ व्यवहार ऐसे भी पाए जाते हैं जो समाज द्वारा स्थापित आदर्शों के प्रतिकूल दिखाई देते हैं, यह क्रम प्राचीन काल से लेकर अब तक निरंतर चलायमान है। मानव जीवन सदा से ही सामाजिक समरसता से परिपूर्ण भ्रातृत्व भावना पर आधारित नहीं रहा है। प्रकृति के साथ सामंजस्य बिठाने की प्रक्रिया में मानव के सामाजिक जीवन का सूत्रपात हुआ। मनुष्यता समय–समय पर उत्पन्न होने वाले झंझावातों से संघर्ष कर नए मानवीय जीवन मूल्यों, परंपराओं, आदर्शों, विश्वासों तथा नैतिकताओं आदि के लिए नए प्रतिमान स्थापित करती रही है। मानव के इसी सामाजिक स्वरूप के कारण अरस्तू ने कहा है कि ''मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है।'' मनुष्य सदैव से अपने परिवेश और अपने आसपास रहने वाले लोगों के प्रति संवेदनशील रहा है। सामाजिक रूप से संवेदनशील होना मनुष्य के लिए न केवल आवश्यक है बल्कि उपयोगी भी है। हमारा सामाजिक आदर्श परोपकार में निहित है।

वर्तमान भौतिकतावादी युग में हमारे आस–पास का परिवेश तेजी से परिवर्तित होता जा रहा है। सनातन काल से चले आ रहे जीवन मूल्यों में गिरावट दिखाई दे रहा है। अर्थ उपार्जन शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य मान लिया गया है, जिसने व्यक्ति को अपने परिवेश के प्रति उदासीन बनाया है और उनमें संवेदनहीनता देखी जा रही है। चूँकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, समाज में ही रहता है इसलिए भी उसमें समाज के प्रति संवेदनाओं का होना आवश्यक है। संवेदनहीन व्यक्ति जड़ वस्तु के समान होता है। हमारे समाज में आए दिन ऐसी घटनाएँ होती रहती हैं, जो हमारी संवेदनशून्यता को उजागर करती हैं, जो सामाजिक व्यवस्था पर प्रश्नचिन्ह लगाती हैं।

समाज में सामाजिक संस्थाओं, घटनाओं, आदर्शों, मूल्यों, विश्वासों आदि के प्रति उदासीनता बढ़ती जा रही है।विभिन्नता में एकता स्थापित करने के लिए यह आवश्यक है कि हमारे छात्र संवेदनशील बने, सामाजिक सरोकारों से जुड़ें, अपनी भूमिका को भली–भाँति समझें। न्यायिक पृच्छा प्रतिमान की सहायता से छात्रों को और अधिक जागरूक बनाया जा सकता है।

सामाजिक संवेदनशीलता

सामाजिक व्यवहार समूहों, घटनाओं, प्रतिक्रियाओं, अवधारणाओं, परिवर्तनों के आधार की पहचान तथा उन सबके प्रति एक गहन निरीक्षण आधारित दृष्टिकोण का निर्माण एवं दूसरों के भावनाओं, विचारों का सम्मान कर तद्नरूप कार्य–व्यवहार प्रगटीकरण की प्रक्रिया सामाजिक संवेदनशीलता है। सामाजिक संवेदनशीलता घटना के प्रति तत्काल प्रतिक्रिया व्यक्त करने की एक मानवीय दृष्टि आधारित विशेषीकृत अभिव्यक्ति है। सामाजिक संवेदनशीलता एक प्रमुख मानवीय गुण है। सामाजिक संवेदनशीलता सामाजिक अंतर क्रिया करने की एक मानवीय क्षमता है। यह व्यक्ति की संवेदनशीलता पर निर्भर करता है कि वह सामाजिक रूप से कितना संवेदनशील है। जब व्यक्ति अपने समाज और उसमें घटित होने वाली घटनाओं के प्रति सचेत होकर व्यवहार करता है तब उसे सामाजिक रूप से संवेदनशील कहा जाता है। सामाजिक संवेदनशीलता का मूल आधार दूसरों की भावनाओं को समझने, उनके विचारों को जानने, भावनाओं तथा विचारों को प्रकट करने का अवसर प्रदान करने एवं सामाजिक मानदंडों की व्यापक जानकारी एवं समझ से है। सामाजिक रूप से संवेदनशील व्यक्ति दूसरों की बातों को ध्यानपूर्वक सुनता है, उनके संकेतों को समझता है और दूसरों को सुनने के लिए स्वयं बातचीत बंद कर देता है तथा चुप हो जाता है। सामाजिक संवेदनशीलता सामाजिक बुद्धि का ही भाग है। सामाजिक संवेदनशीलता का संबंध कुछ हद तक वैज्ञानिक दृष्टिकोण एवं तार्किक चिंतन से भी है। यदि कोई व्यक्ति केवल अपनी ही बात करता है, दूसरों की बात में हस्तक्षेप करता है तथा बात बंद करने के लिए कहता है, सामाजिक रूप से असंवेदनशील माना जाएगा। सामाजिक संवेदनशीलता एक महत्वपूर्ण सामाजिक कौशल है। सामाजिक संवेदनशीलता का संबंध केवल दूसरों को अभिव्यक्ति का अवसर प्रदान करने, उन्हें सुनने एवं सामाजिक मानदंडों के ज्ञान तक सीमित नहीं है, इन सब के प्रति सचेत होकर अनुकूल व्यवहार का प्रकटीकरण करना आवश्यक है। सामाजिक संवेदनशीलता को विभिन्न उपायों तथा शिक्षा के द्वारा बढ़ाया जा सकता है तथा इसका विकास किया जा सकता है। व्यक्ति के आसपास के लोग, व्यक्तित्व, मनोदशा, रोल मॉडल आदि सामाजिक संवेदनशीलता को प्रभावित करते हैं। सामाजिक संवेदनशीलता आरोपण से भी प्रभावित होती है। सामाजिक रूप से संवेदनशील व्यक्ति की कुछ प्रमुख विशेषताएँ होती हैं जिनके आधार पर उनकी पहचान की जा सकती है।

न्यायिक पृच्छा प्रतिमान

वर्तमान युग तकनीक का युग है। तकनीक ने जीवन के प्रत्येक क्षेत्र को प्रभावित किया है। ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं है जो तकनीक के प्रभाव से अछूता रहा हो। शिक्षा भी इससे अछूती नहीं रही है। अनुदेशनात्मक उद्देश्यों की प्राप्ति सही ढंग से हो इसके लिए शिक्षण के क्षेत्र में अनेक प्रतिमानों का विकास किया गया है। शिक्षक इन प्रतिमानों का उपयोग करके छात्रों के व्यवहार में अपेक्षित परिवर्तन लाने हेतु शिक्षण योजना तैयार करता है। इन्हीं प्रतिमानों में से एक है न्यायिक पृच्छा प्रतिमान। न्यायिक पृच्छा प्रतिमान के प्रवर्तक हार्वर्ड विश्वविद्यालय के डोनाल्ड ओलिवर व जेम्स पी शावर(1966/1974) हैं।[1] इस प्रतिमान के प्रयोग द्वारा छात्रों की अंतर्निहित क्षमताओं का विकास किया जा सकता है। इस प्रतिमान का प्रयोग छात्रों की सामाजिक क्षमताओं के विकास के लिए किया जाता है। छात्र वर्तमान में जिस परिवेश में रहता है उसमें विभिन्न प्रकार की समस्याएँ होती हैं, विभिन्न परिस्थितियाँ होती हैं, अलग–अलग जाति, धर्म, लिंग, भाषा, क्षेत्र, रंग, रूप आदि के लोग रहते हैं, ऐसे में छात्र का समुचित सामाजिक विकास का होना आवश्यक होता है। न्यायिक पृच्छा प्रतिमान शिक्षण का एक ऐसा तकनीकी मॉडल है जो छात्रों को अपने परिवेश के प्रति जागरूक बनाने तथा उसके समुचित समाधान हेतु समुचित दृष्टिकोण प्रदान करने में सहायक होता है। इस प्रतिमान के द्वारा छात्रों में सामाजिक संवेदनशीलता का सम्यक विकास संभव है।

समस्या कथन

स्नातक स्तर के छात्रों में सामाजिक संवेदनशीलता के प्रति जागरूकता विकसित करने में न्यायिक पृच्छा प्रतिमान की प्रभावशीलता का अध्ययन।

उद्देश्य

1. स्नातक स्तर के छात्रों में सामाजिक संवेदनशीलता के प्रति जागरूकता का अध्ययन करना।
2. पुरूष स्नातक स्तर के छात्रों में सामाजिक संवेदनशीलता के प्रति जागरूकता का अध्ययन करना।
3. महिला स्नातक स्तर के छात्रों में सामाजिक संवेदनशीलता के प्रति जागरूकता का अध्ययन करना।
4. ग्रामीण स्नातक स्तर के छात्रों में सामाजिक संवेदनशीलता के प्रति जागरूकता का अध्ययन करना।

परिकल्पना

1. न्यायिक पृच्छा शिक्षण प्रतिमान स्नातक स्तर के छात्रों में सामाजिक संवेदनशीलता के प्रति जागरूकता विकसित नहीं करता।
2. न्यायिक पृच्छा शिक्षण प्रतिमान पुरूष स्नातक स्तर के छात्रों में सामाजिक संवेदनशीलता के प्रति जागरूकता विकसित नहीं करता।
3. न्यायिक पृच्छा शिक्षण प्रतिमान महिला स्नातक स्तर के छात्रों में सामाजिक संवेदनशीलता के प्रति जागरूकता विकसित नहीं करता।
4. न्यायिक पृच्छा शिक्षण प्रतिमान ग्रामीण स्नातक स्तर के छात्रों में सामाजिक संवेदनशीलता के प्रति जागरूकता विकसित नहीं करता।

समस्या का सीमांकन

प्रस्तुत शोध में उत्तर प्रदेश राज्य के चंदौली जनपद के दो महाविद्यालयों का क्षेत्र के रूप में चयन किया गया है, जिनमें से एक शहरी क्षेत्र का तथा एक ग्रामीण क्षेत्र का महाविद्यालय है। इसी तरह इनमे से एक महाविद्यालय सरकारी तथा एक महाविद्यालय स्ववित्तपोषित है। दोनों महाविद्यालयों से 24–24 छात्रों का न्यादर्श के रूप में चयन किया गया जिनमे से 24 महिला तथा 24 पुरूष छात्र थे। यह सीमांकन इसलिए किया गया जिससे प्रयोगात्मक शोध कार्य हेतु प्रयोग की दशाओं को नियंत्रित किया जा सके।

---

[1] जॉयसी, ब्रासी एंड मार्शाविल, 2003, *मॉडल ऑफ टीचिंग,* फिफ्थ एडिशन, नई दिल्ली, प्रेंटिस हॉल ऑफ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, पृष्ठ 110

स्नातक स्तर के छात्र

स्नातक स्तर के छात्र से तात्पर्य ऐसे छात्रों से है जो सामान्य महाविद्यालयों में कला, विज्ञान एवं वाणिज्य में किसी भी संकाय के त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम के अंतर्गत प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय वर्ष में अध्ययनरत हैं। अर्थात् 10+2 के बाद की सामान्य शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं।

संबंधित साहित्य का सर्वेक्षण

किसी भी क्षेत्र में संबंधित साहित्य के विस्तृत विवेचन से उसके आदि से लेकर वर्तमान तक के विकास तथा विस्तार का पता लगाया जा सकता है। गोगेट, एस.बी. (1985)[1], नयाल, शांति (1990)[2], श्रीवास्तव, प्रज्ञा (2011)[3], सिंह, राजेंद्र (2011)[4], पालीवाल, तन्मय (2011)[5], दर्जी, चिराग एम. (2013)[6] आदि ने सामाजिक संवेदनशीलता के क्षेत्र में तथा तिवारी (1986)[7], अग्रवाल, आर (1987)[8], ब्रेन्डट (1985)[9], सिंह, वीर पाल (2010)[10], सिंह, मनोज कुमार (2011)[11], एवं राय, श्वेता (2015)[12] आदि ने न्यायिक पृच्छा शिक्षण प्रतिमान से संबंधित शोध कार्य किया है।

अनुसंधान विधि एवं शोध अभिकल्प

प्रस्तुत शोध में समस्या का अध्ययन करने हेतु प्रयोगात्मक अनुसंधान विधि के क्षेत्र प्रयोग अनुसंधान का प्रयोग किया गया है तथा शोध अभिकल्प के रूप में यादृच्छिक नियंत्रित एवं प्रयोगात्मक समूह पूर्व तथा उत्तर परीक्षण अभिकल्प का प्रयोग किया गया है।

न्यादर्श

न्यादर्श चयन हेतु शोधकर्ता द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य के चंदौली जनपद के दो महाविद्यालयों से असंभाव्यता न्यादर्शन की सोद्देश्य न्यादर्शन विधि का प्रयोग कर प्रत्येक महाविद्यालय से 24–24 छात्रों का चयन किया गया है।

अध्ययन में प्रयुक्त उपकरण

शोधकर्ता द्वारा सामाजिक संवेदनशीलता के प्रति जागरूकता विकसित करने में न्यायिक पृच्छा प्रतिमान की प्रभावशीलता का अध्ययन करने हेतु आर. के. टण्डन के सामूहिक बुद्धि परीक्षण एवं शोध–निर्देशक डॉ. त्रिवेणी सिंह की सहायता से स्वयं द्वारा निर्मित सामाजिक संवेदनशीलता मापनी का प्रयोग किया गया।

सांख्यिकीय विधि

प्रस्तुत शोध कार्य में अनुसंधानकर्ता द्वारा शोध निष्कर्ष प्राप्त करने हेतु विविध सांख्यिकीय प्रविधियों का प्रयोग किया गया है। शोधकर्ता द्वारा आँकड़ों के विश्लेषण हेतु सर्वप्रथम दोनो समूहों पर प्रशासित पश्च परीक्षण से प्राप्त आँकड़ों के आधार पर चर का मध्यमान एवं मानक विचलन ज्ञात किया गया तत्पश्चात टी–परीक्षण हेतु दोनों मध्यमानों के अंतर की मानक त्रुटि ज्ञात कर ली गई। दोनों मध्यमानों के अंतर एवं मानक त्रुटि की सहायता से टी–अनुपात ज्ञात किया गया। अंत में टी–अनुपात की सहायता से दोनों मध्यमानों के अंतर की सार्थकता ज्ञात कर ली गई। यहाँ दृष्टव्य है कि पश्च परीक्षण में नियंत्रित समूह से प्राप्त आँकड़े लगभग वही हैं जो पूर्व परीक्षण में प्राप्त हुए थे।

विश्लेषण एवं व्याख्या

उद्देश्य 1. ''स्नातक स्तर के छात्रों में सामाजिक संवेदनशीलता के प्रति जागरूकता का अध्ययन करना।'' इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु अधोलिखित परिकल्पना निर्मित की गई

परिकल्पना 1. ''न्यायिक पृच्छा शिक्षण प्रतिमान स्नातक स्तर के छात्रों में सामाजिक संवेदनशीलता के प्रति सार्थक जागरूकता विकसित नहीं करता।''

प्रस्तुत अध्ययन में उपर्युक्त परिकल्पना का परीक्षण अधोलिखितानुसार प्राप्त सांख्यिकीय आँकड़ों के अनुसार किया गया।

तालिका संख्या 1:स्नातक स्तर के सभी छात्रों में सामाजिक संवेदनशीलता के प्रति जागरूकता विकसित करने में न्यायिक पृच्छा शिक्षण प्रतिमान का प्रभाव

समूह	N	M	SD	D= M1≈M2	SED	t	सार्थकता स्तर
नियंत्रित	24	129.875	23.798	67.625	5.69	11.88	.01
प्रयोगात्मक	24	197.5	13.36				

तालिका संख्या 1 के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि स्नातक स्तर के छात्रों में से बनाए गए दो समान समूहों नियंत्रित एवं प्रयोगात्मक समूह पर पश्च परीक्षण के रूप में प्रशासित सामाजिक संवेदनशीलता मापनी से नियंत्रित समूह का मध्यमान एवं मानक विचलन क्रमशः 129.875 एवं 23.798 प्राप्त हुआ, वहीं दूसरे प्रयोगात्मक समूह का मध्यमान एवं मानक विचलन क्रमशः 197.5 एवं 13.36 प्राप्त हुआ। दोनों समूहों के मध्यमानों का अंतर (D) 67.625 तथा दोनों मध्यमानों के अंतर की मानक त्रुटि(ED) 5.69 प्राप्त हुई। दोनों मध्यमानों के अंतर की सार्थकता ज्ञात करने हेतु टी–अनुपात की गणना की गई जो 11.88 प्राप्त हुई। प्राप्त टी–मान का 46 स्वतंत्रता के अंश (df=46) पर टी–अनुपात के द्वि–पुच्छीय परीक्षण के लिए सारणी में दिए गए टी–अनुपात के मान से तुलना करने पर यह सारणी के निर्धारित मान .05 स्तर पर 2.01 तथा .01 स्तर पर 2.68 से अधिक पाया गया। इससे यह स्पष्ट होता है कि यह टी–मान दशमलव .01 स्तर पर सार्थक है। इस तरह यह कहा जा सकता है कि प्रयोगात्मक एवं नियंत्रित समूह सामाजिक संवेदनशीलता के प्रति जागरूकता में सार्थक रूप से अंतर रखते हैं। प्रथम दृष्टया देखने पर भी यह पता चलता है कि प्रयोगात्मक समूह का मध्यमान 197.5 नियंत्रित समूह के मध्यमान 129.875 से लगभग डेढ़ गुना अधिक है जो न्यायिक पृच्छा प्रतिमान शिक्षण के कारण ही संभव हुआ है। इसके संभावित कारण यह हो सकते हैं कि न्यायिक शिक्षण प्रतिमान सामाजिक समस्याओं के प्रति जागरूक बनाने तथा समझ विकसित करने का एक प्रमुख शिक्षण प्रतिमान है। यह प्रतिमान छात्रों में ऐसे कौशल एवं योग्यता का विकास करता है जिससे वह किसी भी सामाजिक समस्या के विषय में विभ्रम की स्थिति से निकलकर अपना एक स्पष्ट मत निर्धारित करने में सक्षम हो जाते हैं। इस तथ्य की पुष्टि तिवारी (1986) तथा हसन, एस (1987) के अध्ययन से भी होता है।

अतः परिकल्पना संख्या 1 कि ''न्यायिक पृच्छा शिक्षण प्रतिमान स्नातक स्तर के छात्रों में सामाजिक संवेदनशीलता के प्रति जागरूकता विकसित नहीं करता'' निरस्त की जाती है।

उद्देश्य 2. 'पुरूष स्नातक स्तर के छात्रों में सामाजिक संवेदनशीलता के प्रति जागरूकता का अध्ययन करना।'' इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु अधोलिखित परिकल्पना निर्मित की गई–

परिकल्पना 2. ''न्यायिक पृच्छा शिक्षण प्रतिमान पुरूष स्नातक स्तर के छात्रों में सामाजिक संवेदनशीलता के प्रति सार्थक जागरूकता विकसित नहीं करता।'' प्रस्तुत अध्ययन में उपर्युक्त परिकल्पना का परीक्षण अधोलिखितानुसार प्राप्त सांख्यिकीय आँकड़ों के अनुसार किया गया।

तालिका संख्या 2: पुरूष स्नातक स्तर के छात्रों में सामाजिक संवेदनशीलता के प्रति जागरूकता विकसित करने में न्यायिक पृच्छा शिक्षण प्रतिमान का प्रभाव

समूह	N	M	SD	D= M1≈M2	SED	t	सार्थकता स्तर
नियंत्रित	12	132.83	17.76	67.42	7.045	9.56	.01
प्रयोगात्मक	12	200.25	15.183				

तालिका संख्या 2 के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि पुरूष स्नातक स्तर के छात्रों में से बनाए गए दो समान समूहों नियंत्रित एवं प्रयोगात्मक समूह पर पश्च परीक्षण के रूप में प्रशासित सामाजिक संवेदनशीलता मापनी से नियंत्रित समूह का मध्यमान एवं मानक विचलन क्रमशः 132.83 एवं 17.76 प्राप्त हुआ, वहीं दूसरे प्रयोगात्मक समूह का मध्यमान एवं मानक विचलन क्रमशः 200.25 एवं 15.183 प्राप्त हुआ। दोनों समूहों के मध्यमानों का अंतर 67.42 तथा दोनों मध्यमानों के अंतर की मानक त्रुटि 7.045 प्राप्त हुई। दोनों मध्यमानों के अंतर की सार्थकता ज्ञात करने हेतु टी–अनुपात की गणना की गई जो 9.56 प्राप्त हुई। प्राप्त टी–मान का 22 स्वतंत्रता के अंश (df = 22) पर टी–अनुपात के द्वि–पुच्छीय परीक्षण के लिए सारणी में दिए गए टी मान से तुलना करने पर यह सारणी के निर्धारित मान .05 स्तर पर 2.07 तथा .01 स्तर पर 2.82 से अधिक पाया गया। इससे यह स्पष्ट होता है कि यह टी–मान दशमलव .01 स्तर पर सार्थक है। इस तरह यह कहा जा सकता है कि प्रयोगात्मक एवं नियंत्रित समूह सामाजिक संवेदनशीलता के प्रति जागरूकता के संदर्भ में सार्थक रूप से अंतर रखते हैं। प्रथम दृष्टया देखने पर भी यह पता चलता है कि प्रयोगात्मक समूह का मध्यमान 200.25 नियंत्रित समूह के मध्यमान 132.83 से लगभग डेढ़ गुना अधिक है जो न्यायिक पृच्छा प्रतिमान शिक्षण के कारण ही संभव हुआ है। इसके संभावित कारण यह हो सकते हैं कि महाविद्यालयों में अध्यापन की परंपरागत शैली व्याख्यान का ही अधिक प्रयोग किया जाता है जिसमें अध्यापकों का ध्यान पाठ्यक्रम पूर्ण करने तथा परीक्षा में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने पर रहता है। जबकि न्यायिक पृच्छा प्रतिमान में समस्या तथा उसके प्रति उपयुक्त दृ ष्टिकोण निर्माण पर बल दिया जाता है। इस तथ्य की पुष्टि वी. टी. जलज कुमारी (2005) तथा बैंडेट (1985) के अध्ययन से भी होती है।

अतः परिकल्पना संख्या 2 कि ''न्यायिक पृच्छा शिक्षण प्रतिमान पुरूष स्नातक स्तर के छात्रों में सामाजिक संवेदनशीलता के प्रति जागरूकता विकसित नहीं करता'' निरस्त की जाती है।

उद्देश्य 3. महिला स्नातक स्तर के छात्रों में सामाजिक संवेदनशीलता के प्रति जागरूकता का अध्ययन करना।'' इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु अधोलिखित परिकल्पना निर्मित की गई–

परिकल्पना 3. न्यायिक पृच्छा शिक्षण प्रतिमान महिला स्नातक स्तर के छात्रों में सामाजिक संवेदनशीलता के प्रति सार्थक जागरूकता विकसित नहीं करता।' प्रस्तुत अध्ययन में उपर्युक्त परिकल्पना का परीक्षण अधोलिखितानुसार प्राप्त सांख्यिकीय आँकड़ों के अनुसार किया गया।

तालिका संख्या 3: महिला स्नातक स्तर के छात्रों में सामाजिक संवेदनशीलता के प्रति जागरूकता विकसित करने में न्यायिक पृच्छा शिक्षण प्रतिमान का प्रभाव

समूह	N	M	SD	D= M1≈M2	SED	t	सार्थकता स्तर
नियंत्रित	12	126.916	27.879	67.834	8.988	7.547	.01
प्रयोगात्मक	12	194.75	10.56				

तालिका संख्या 3 के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि महिला स्नातक स्तर के छात्रों में से बनाए गए दो समान समूहों नियंत्रित एवं प्रयोगात्मक समूह पर पश्च परीक्षण के रूप में प्रशासित सामाजिक संवेदनशीलता मापनी से नियंत्रित समूह का मध्यमान एवं मानक विचलन क्रमशः 126.916 एवं 27.879 प्राप्त हुआ, वहीं दूसरे प्रयोगात्मक समूह का मध्यमान एवं मानक विचलन क्रमशः 194.75 एवं 10.56 प्राप्त हुआ। दोनों समूहों के मध्यमानों का अंतर 67.834 तथा दोनों मध्यमानों के अंतर की मानक त्रुटि 8.988 प्राप्त हुई। दोनों मध्यमानों के अंतर की सार्थकता ज्ञात करने हेतु टी–अनुपात की गणना की गई जो 7.547 प्राप्त हुई। प्राप्त टी–मान का 22 स्वतंत्रता के अंश (df = 22) पर टी–अनुपात के द्वि–पुच्छीय परीक्षण के लिए सारणी में दिए गए टी मान से तुलना करने पर यह सारणी के निर्धारित मान .05 स्तर पर 2.07 तथा .01 स्तर पर 2.82 से अधिक पाया गया। इससे यह स्पष्ट होता है कि यह टी–मान दशमलव .01 स्तर पर सार्थक है। इस तरह यह कहा जा सकता है कि प्रयोगात्मक एवं नियंत्रित समूह सामाजिक संवेदनशीलता के प्रति जागरूकता के संदर्भ में सार्थक रूप से अंतर रखते हैं। प्रथम दृष्टया देखने पर भी यह पता चलता है कि प्रयोगात्मक समूह का मध्यमान 194.75 नियंत्रित समूह के मध्यमान 126.916 से लगभग डेढ़ गुना अधिक है जो न्यायिक पृच्छा प्रतिमान शिक्षण के कारण ही संभव हुआ है। इसके संभावित कारण यह हो सकते हैं कि न्यायिक पृच्छा शिक्षण प्रतिमान तथ्यों के विश्लेषण एवं तर्क आधारित चिंतन पर बल देता है। यह प्रतिमान परिवेश में घटित होने वाली घटनाओं के प्रति सचेत कर स्वयं का दृष्टिकोण विकसित करने में मदद कर अधिक संवेदनशील बनाता है। रेखा सिंह (1998) तथा गोपाल (2015) के अध्ययन से भी इस तथ्य की पुष्टि होती है।

अतः परिकल्पना संख्या 3 कि ''न्यायिक पृच्छा शिक्षण प्रतिमान महिला स्नातक स्तर के छात्रों में सामाजिक संवेदनशीलता के प्रति जागरूकता विकसित नहीं करता'' निरस्त की जाती है।

उद्देश्य 4. ग्रामीण स्नातक स्तर के छात्रों में सामाजिक संवेदनशीलता के प्रति जागरूकता का अध्ययन करना।' इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु अधोलिखित परिकल्पना निर्मित की गई–

परिकल्पना 4. न्यायिक पृच्छा शिक्षण प्रतिमान ग्रामीण स्नातक स्तर के छात्रों में सामाजिक संवेदनशीलता के प्रति सार्थक जागरूकता विकसित नहीं करता। प्रस्तुत अध्ययन में उपर्युक्त परिकल्पना का परीक्षण अधोलिखितानुसार प्राप्त सांख्यिकीय आँकड़ों के अनुसार किया गया।

तालिका संख्या 4: ग्रामीण स्नातक स्तर के छात्रों में सामाजिक संवेदनशीलता के प्रति जागरूकता विकसित करने में न्यायिक पृच्छा शिक्षण प्रतिमान का प्रभाव

समूह	**N**	**M**	**SD**	**D= M1≈M2**	**SED**	**t**	**सार्थकता स्तर**
नियंत्रित	12	133.33	26.799	61.253	8.813	6.950	.01
प्रयोगात्मक	12	194.583	11.672				

तालिका संख्या 4 के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि ग्रामीण स्नातक स्तर के छात्रों में से बनाए गए दो समान समूहों नियंत्रित एवं प्रयोगात्मक समूह पर पश्च परीक्षण के रूप में प्रशासित सामाजिक संवेदनशीलता मापनी से नियंत्रित समूह का मध्यमान एवं मानक विचलन क्रमशः 133.33 एवं 26.799 प्राप्त हुआ, वहीं दूसरे प्रयोगात्मक समूह का मध्यमान एवं मानक विचलन क्रमशः 194.583 एवं 11.672 प्राप्त हुआ। दोनों समूहों के मध्यमानों का अंतर 61.253 तथा दोनों मध्यमानों के अंतर की मानक त्रुटि 8. 813 प्राप्त हुई। दोनों मध्यमानों के अंतर की सार्थकता ज्ञात करने

हेतु टी–अनुपात की गणना की गई जो 6.950 प्राप्त हुई। प्राप्त टी–मान का 22 स्वतंत्रता के अंश (df = 22) पर टी–अनुपात के द्वि–पुच्छीय परीक्षण के लिए सारणी में दिए गए टी मान से तुलना करने पर यह सारणी के निर्धारित मान .05 स्तर पर 2.07 तथा .01 स्तर पर 2.82 से अधिक पाया गया। इससे यह स्पष्ट होता है कि यह टी–मान दशमलव .01 स्तर पर सार्थक है। इस तरह यह कहा जा सकता है कि प्रयोगात्मक एवं नियंत्रित समूह सामाजिक संवेदनशीलता के प्रति जागरूकता के संदर्भ में सार्थक रूप से अंतर रखते हैं। प्रथम दृष्टया देखने पर भी यह पता चलता है कि प्रयोगात्मक समूह का मध्यमान 194.583 नियंत्रित समूह के मध्यमान 133.33 से अधिक है। इसके संभावित कारण यह हो सकते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में रूढ़ियों, पूर्वाग्रहों, लैंगिक भेदभाव, अस्पृश्यता आदि का प्रभाव अधिक देखा गया है। न्यायिक पृच्छा शिक्षण प्रतिमान आधारित शिक्षण में सभी छात्रों को पूर्ण सहभागिता करने तथा अपना मत प्रकट करने का समान अवसर प्राप्त हुआ। इस प्रतिमान ने छात्रों को तार्किक दृष्टिकोण अपनाते हुए अपना मत निर्धारण और परिमार्जन करने का अवसर प्रदान किया। फलस्वरुप इसने सामाजिक समस्याओं, परिवर्तनों, परिस्थितियों आदि के प्रति अधिक संवेदनशील बनाने में सहायता की। वीरपाल सिंह (2010) एवं मनोज कुमार सिंह (2011) के अध्ययन से भी इस तथ्य की पुष्टि होती है, जो न्यायिक पृच्छा प्रतिमान शिक्षण के कारण ही संभव हुआ है।

अतः परिकल्पना संख्या 4 कि ''न्यायिक पृच्छा शिक्षण प्रतिमान ग्रामीण स्नातक स्तर के छात्रों में सामाजिक संवेदनशीलता के प्रति जागरूकता विकसित नहीं करता'' निरस्त की जाती है।

निष्कर्ष

अध्ययन से प्राप्त निष्कर्ष निम्नवत हैं–

1. न्यायिक पृच्छा शिक्षण प्रतिमान स्नातक स्तर के छात्रों में सामाजिक संवेदनशीलता के प्रति जागरूकता विकसित करने में सार्थक सह–संबंध रखता है।
2. न्यायिक पृच्छा शिक्षण प्रतिमान पुरूष स्नातक स्तर के छात्रों में सामाजिक संवेदनशीलता के प्रति जागरूकता विकसित करने में सार्थक सह–संबंध रखता है।
3. न्यायिक पृच्छा शिक्षण प्रतिमान महिला स्नातक स्तर के छात्रों में सामाजिक संवेदनशीलता के प्रति जागरूकता विकसित करने में सार्थक सह–संबंध रखता है।
4. न्यायिक पृच्छा शिक्षण प्रतिमान ग्रामीण स्नातक स्तर के छात्रों में सामाजिक संवेदनशीलता के प्रति जागरूकता विकसित करने में सार्थक सह–संबंध रखता है।

सुझाव

1. माध्यमिक स्तर, परास्नातक स्तर आदि के छात्रों में सामाजिक संवेदनशीलता के प्रति जागरूकता विकसित करने में न्यायिक पृच्छा प्रतिमान के प्रभाव का अध्ययन किया जा सकता है।
2. स्नातक स्तर के ग्रामीण तथा शहरी एवं महिला तथा पुरुष छात्रों में सामाजिक संवेदनशीलता के प्रति जागरूकता विकसित करने में न्यायिक पृच्छा प्रतिमान के प्रभाव का तुलनात्मक अध्ययन किया जा सकता है।
3. प्रस्तुत अध्ययन महात्मा गाँधी काशी विद्यापीठ के 2 महाविद्यालयों पर आधारित है इसी तरह न्यायिक पृच्छा प्रतिमान का प्रयोग अन्य जिलों के अन्य महाविद्यालयों के छात्रों में सामाजिक संवेदनशीलता के प्रति जागरूकता विकसित करने में किया जा सकता है।
4. न्यायिक पृच्छा प्रतिमान का प्रयोग सामाजिक संवेदनशीलता के प्रति जागरूकता विकसित करने के स्थान पर मानवाधिकार शिक्षा, पर्यावरण शिक्षा, शांति शिक्षा, स्त्री शिक्षा, मूल्य शिक्षा, नैतिक शिक्षा आदि के प्रति जागरूकता विकसित करने में किया जा सकता है।

सन्दर्भ सूची

1. गोगेट, एस.बी. (1985) कॉलेज के छात्रों के बीच सामाजिक जागरूकता पैदा करना, आई. आई. ई., पुणे,
2. फोर्थ सर्वे (1983–1988) वॉल्यूम–2, चैप्टर 28, रिसर्च इन हायर एजुकेशन (ए ट्रेंड रिपोर्ट सी.एल आनंद पीलू बुच) पृष्ठ 1359, संकलित एवं प्रकाशित एनसीईआरटी, नई दिल्ली
3. नयाल, शांति (1990), कोरिलेट्स ऑफ़ सोशल इंटीग्रेशन अमांग स्कूल एडोलिसेंट्सः सोशल रिस्पांसिबिलिटी, मोरालिटी एंड सेल्फ कॉन्सेप्ट, पी–एचडी, शिक्षाशास्त्र, कुमाऊं विश्वविद्यालय, फिफ्थ सर्वे आफ रिसर्च इन एजुकेशन (1988–1992), वॉल्यूम–।।, चैप्टर–9, सोसल प्रासेस(के. सी. पण्डा), पृष्ठ 1016–1017, संकलित एवं प्रकाशित एन.सी.ई. आर.टी., नई दिल्ली
4. श्रीवास्तव, प्रज्ञा (2011), उच्च माध्यमिक स्तर पर अध्यनरत विद्यार्थियों की सामाजिक लब्धि पर उनकी चेतना का अध्ययन' शोध प्रबंध, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर
5. सिंह, राजेंद्र (2011), शोध प्रबंध, उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद।
6. पालीवाल, तन्मय (2011), उच्च माध्यमिक स्तर पर अध्यनरत छात्र–छात्राओं के सामाजिक व्यवहार एवं सामाजिक प्राथमिकताओं का तुलनात्मक अध्ययन एवं इसका शैक्षिक उपलब्धि पर प्रभाव, लोकमान्य शिक्षक पत्रिका, उदयपुर, इश्यू–38, वर्ष 2011, पृष्ठ संख्या 69 से 72
7. दर्जी, चिराग एम. (2013), बी.एड. प्रशिक्षणार्थियों के लिए संवेदनशीलता–विकास कार्यक्रम का विकास एवं परीक्षण,'' शोध प्रबंध, शिक्षा शास्त्र, सरदार पटेल विश्वविद्यालय, बल्लभ, विद्यानगर, गुजरात
8. तिवारी, के. के. (1986), इफेक्ट ऑफ जूरिसप्रूडेंशियल इंक्वायरी मॉडल ऑन स्विफ्ट इन वैल्यू प्रेफरेंस इन टर्म ऑफ राइट टू एबिलिटी एंड फ्रीडम आफ सेवंथ ग्रेड स्टूडेंट, एम. फिल., डी.ए.वी.वी., इंदौर।
9. अग्रवाल, आर (1987), इफेक्ट ऑफ जूरिसप्रूडेंशियल इंक्वायरी मॉडल ऑफ टीचिंग ऑन द डेवलपमेंट ऑफ वैल्यू, अप्रकाशित एम.एड., लघु शोध, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद।
10. ब्रेन्डट (1985), कंपैरेटिव इफेक्टिवेनेस ऑफ द वैल्यू डिस्कशन इफेक्ट ऑफ ज्यूरिसप्रूडेंशियल इंक्वायरी मॉडल ऑफ द कॉलेज स्टूडेंट, पी–एच.डी., डी.ए.वी.वी. इंदौर।
11. सिंह, वीर पाल (2010), ''इंडियन एजुकेशनल रिव्यू (हाफ इयरली जर्नल आफ एजुकेशनल रिसर्च)'', एन. सी. ई. आर. टी., नई दिल्ली, वॉल्यूम 47, नंबर 2, जुलाई 2010, पृष्ठ 45 – 67
12. सिंह, मनोज कुमार (2011), बी.एड. प्रशिक्षणार्थियों में मानवाधिकार के प्रति जागरूकता विकसित करने में न्यायिक पृच्छा प्रतिमान की प्रभावशीलता का अध्ययन, शोध–प्रबंध, डॉ. राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, फैजाबाद, उत्तर प्रदेश।
13. राय, श्वेता (2015), विद्यालयी छात्रों में उनके सामाजिक–आर्थिक स्तर, सामाजिक सक्षमता, व्यक्तित्व कारक तथा शैक्षणिक उपलब्धि के संबंध में लोकतांत्रिक मूल्यों के विकास पर न्यायिक पृच्छा प्रतिमान की प्रभावशीलता का अध्ययन, शोध प्रबंध, वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय, जौनपुर, यूपी।
14. ओलिवर, डोनाल्ड एवं शावर, जेम्स पी. (1966/1974) टीचिंग पब्लिक इश्यूज इन द हाई स्कूल, बोस्टन, हाफ्टन मिफ्लिन कंपनी,

15. सिंह, अरुण कुमार (2014) मनोविज्ञान, समाजशास्त्र तथा शिक्षा में शोध विधियाँ, दिल्ली, मोतीलाल बनारसीदास प्रकाशन।
16. गुप्ता, एस. पी. एवं गुप्ता, अलका (2006) आधुनिक मापन एवं मूल्यांकन, इलाहाबाद, शारदा पुस्तक भवन
17. राय, पारसनाथ एवं राय, सी. पी.(2014) अनुसंधान परिचय, आगरा, लक्ष्मीनारायण अग्रवाल प्रकाशन।
18. फोर्थ सर्वे (1983–1988) वॉल्यूम–2, चैप्टर 28, रिसर्च इन हायर एजुकेशन(ए ट्रेंड रिपोर्ट सी.एल. आनंद पीलू बुच संकलित एवं प्रकाशित एन.सी.ई.आर.टी., नई दिल्ली।
19. जॉयसी, ब्रासी एंड मार्शाविल (2003) मॉडल ऑफ टीचिंग, फिफ्थ एडिशन, नई दिल्ली, प्रेंटिस हॉल ऑफ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड।
20. सिंह, रेखा (1998), सामाजिक संज्ञानात्मक, सामाजिक विवेक तथा धार्मिक अभिरुचि और सामाजिक व्यवहार के विकास पर न्यायिक पृच्छा प्रतिमान की प्रभावशीलता का अध्ययन डी. फिल., शिक्षा शास्त्र, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद।
21. गोपाल (2015) माध्यमिक विद्यालयों के सामाजिक विज्ञान विषय के छात्रों में सामाजिक अभिवृत्ति, सामाजिक भागीदारी एवं शैक्षणिक उपलब्धि पर शिक्षण के न्यायिक पृच्छा प्रतिमान की प्रभावशीलता का अध्ययन, शोध–प्रबंध, कुवेम्पू विश्वविद्यालय, शंकरघट्टा, शिवमोगा, कर्नाटका।
22. जलज कुमारी, वी. टी., 2005, ''इफेक्टिवनेस आफ जूरिसप्रूडेंस इंक्वायरी मॉडल इन टीचिंग मलयालम अट सेकेंडरी लेवल'' महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी, कोट्टायम, केरला।
23. तिवारी, के. के.,1986, इफेक्ट ऑफ जूरिसप्रूडेंशियल इंक्वायरी मॉडल ऑन स्विफ्ट इन वैल्यू प्रेफरेंस इन टर्म ऑफ राइट टू एबिलिटी एंड फ्रीडम आफ सेवंथ ग्रेड स्टूडेंट, एम. फिल., डी. ए.वी.वी., इंदौर।
24. ब्रेन्डट, 1985, कंपैरेटिव इफेक्टिवेनेस ऑफ द वैल्यू डिस्कशन इफेक्ट ऑफ ज्यूरिसप्रूडेंशियल इंक्वायरी मॉडल ऑफ द कॉलेज स्टूडेंट, पी–एच.डी., डी.ए.वी.वी. इंदौर।
25. हसन, एस., 1987, इफेक्ट ऑफ इंटेलिजेंस एंड जूरिसप्रूडेंशियल इंक्वायरी मॉडल ऑफ टीचिंग ऑन द डेवलपमेंट ऑफ सोशल काम्पिटेन्सी, एम.एड. डिजरटेशन, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद।